महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एंव संबंद्ध चिकित्सालय

(स्वशासी संस्था) इन्दौर

क्रमांक 3009 /स्था./स्व./2021 इन्दौर, दिनांक 01 /03/2021

//कार्यालय आदेश//

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी–3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29.09.2014 एवं संचालनालय के पत्र कमांक 319–25 दिनांक 30.05. 2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा में रहते हुये निधन होने पर निम्नानुसार अनुकंपा नियुक्ति आवेदन अनुसार उनके आश्रितों को कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से अन्य आदेश होने तक शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्तों में स्वशासी संस्था में स्वशासी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो पर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी संस्था में प्रदान की जाती है :–

स. क.	आवेदक का नाम व मृतक कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पद का नाम व वेतनमान	संस्था का नाम
1	श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नि स्व. अमित शर्मा	अनारक्षित	**रिकार्ड क्लर्क** 5200–20200+1900 (छठवा वेतनमान) 19500–62000 (सातवा वेतनमान)	चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

1. म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ–9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगें। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ–5/1/2005/नियम /चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगें ।
2. नियुक्ति के पूर्व मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार करवाया जावेगा एवं नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरीफिकेशन व चिकित्सीय परीक्षण) नियमानुसार करवाया जावेगा। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नही है तो दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाए किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तें इत्यादी की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर लागू होगी।
4. **म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 –13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि मे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वतीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रांरभ किया जाएगा ।**
5. इन्हे नियुक्ति के पूर्व एक वचन पत्र देना अनिवार्य है कि यह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेंगें/करेगीं तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए की इनके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नही किया जा रहा है तो इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
6. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
7. **म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी–3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 के नियम 6 के उपनियम 6.5 अनुसार दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिये कम्प्युटर डिप्लोमा तथा कम्प्युटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष में उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है ।**
8. **म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 12–5/2007/चार दिनांक 19.04.2007 के तहत परिवार पेंशन पर राहत देय नही होगी।**
9. **अनुकंपा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29.09.2014 के नियम 7 के उपनियम 7.9 अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।**
10. **आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 214/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 24.02.2021 में दिये गये निर्देशानुसार एवं दिनांक 04.02.2021 को हुई कार्यपरिषद् के एजेन्डा बिन्दु कमांक 13 में लिये गये निर्णय अनुसार ।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय,एंव संबंद्ध चिकित्सालय,
स्वशासी संस्था,इन्दौर
01/03/2021

पृ. क्रमांक 3010-15 /स्था./स्व./2021 इन्दौर, दिनांक 01.03.2021

प्रतिलिपि :– सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 214/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 24.02.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार की गई कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. सभागीय पेंशन कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर ।
5. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी–3–13/ 2019/3 /एक/भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये बिन्दु कमांक "ब" के अनुसार वेतन आहरण की प्रकिया अपनाई जावे ।
6. संबंधितों की ओर भेजकर लेख है कि आप कार्य पर उपस्थित होते समय जन्म तिथि प्रमाणपत्र/अन्य वांछित प्रमाणपत्र तथा दो कोरी सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय,एंव संबंद्ध चिकित्सालय,
स्वशासी संस्था,इन्दौर
01/03/2021

Scanned by CamScanner